



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक एफ 37()पंरावि/प्रशा.2/मंत्रा/स्थाना-विविध/2019/ 2984 जयपुर दिनांक 13/9/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद नागौर।

विषय:-कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ खींवसर पंचायत समिति में कार्यरत श्री बगाराम, वरिष्ठ लिपिक की संस्थापन संबंधी सूचनाओं का मिलान करते हुये जिले की किसी अन्य पंचायत समिति में स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी कर पालना से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

नोट:-

1. उक्त आदेश में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से किया जावे।
2. यदि कार्मिक माननीय न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत हैं तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी किया किया जावे।
3. यदि कार्मिक की परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
4. कार्मिक का पदस्थापन यथासंभव रिक्त पद पर ही किया जावे।

13/9/2019
(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त (प्रशा.2)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
3. ए.सी.पी मुख्यालय को एक प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. आदेश पत्रावली।

13/9/2019
संयुक्त शासन सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त (प्रशा.2)